न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 10/2023

अपीलार्थीगण

(1) कन्हैयालाल पुत्र गजाराम जी मेघवाल, निवासी– सनपुर, तह. व जिला–सिरोही
(2) कान्तिलाल पुत्र गजाराम जी मेघवाल, निवासी– सनपुर, तह. व जिला–सिरोही
(3) मोहनलाल पुत्र गजाराम जी मेघवाल, निवासी– सनपुर, तह. व जिला–सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थीगण

(1) कपुराराम पुत्र जैसारामजी, जाति–मेघवाल, निवासी–मेरमाण्डवाडा, तहसील–सिरोही
(2) त्रिजादेवी पुत्री जैसारामजी पत्नी वीराराम जी, जाति– मेघवाल, हाल निवासी–सनपुर, तहसील– व जिला–सिरोही
(3) प्रभादेवी पुत्री जैसारामजी पत्नि गणेशराम जी, जाति– मेघवाल, हाल निवासी–सियाकरा, तह. व जिला–सिरोही
(4) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला–सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री ऋषि माथुर, अपीलार्थीगण की ओर से
(2) पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 02 फरवरी, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम मेरमाण्डवाडा, पटवार हल्का मेरमाण्डवाडा का प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1204 दिनांक 30.12.2021 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अलग से पेश किया गया है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या–1 (एक) की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 ने सुनवाई दिनांक 25.4.2023 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया, उसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 इस न्यायालय में उपस्थित नही हुये।

(3) प्रकरण में अपीलार्थीगण के अधिवक्ता व पेरोकार सरकार की दिनांक 16.01.2024 को बहस सुनी गई। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम मेरमाण्डवाडा, पटवार हल्का मेरमाण्डवाडा के खसरा संख्या 2917 रकबा 02.7200 हेक्टेयर कृषि भूमि आई हुई है। उक्त खसरा सवंख्या 2917 रकबा 02.7200 हेक्टेयर कृषि भूमि के संयुक्त खातेदार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की माता सोनी देवी व अन्य 10 खातेदार कपुराराम, जयन्तिलाल, त्रिजादेवी, निरमा, प्रभादेवी, बागाराम, भानाराम, मीरादेवी, रगाराम और सुकीदेवी और भी काश्तकारी संयुक्त रुप से रेकर्डेड खातेदार कृषक रहे है जिसका उल्लेख राजस्व रेकर्ड [illegible] में किया हुआ है। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की माता सोनी देवी और उक्त [illegible] 1 [illegible] खातेदारान ने उपरोक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 2917 में से अ[illegible] विक्रय दिनांक 09.11.2021 [illegible]ज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 17:12:18 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

से अपीलार्थीगण को विक्रय कर कब्जा सुर्पद किया, तब से अपीलार्थीगण उक्त खरीदशुदा कृषि भूमि के स्वामी और खातेदार कृषक बने है। अपीलार्थीगण ने उक्त खरीदशुदा कृषि भूमि का नामान्तरकरण दायर करने हेतु उप तहसीलदार, कालन्द्री और पटवारी हल्का मेरमाण्डवाडा को कई बार आवेदन पत्र प्रस्तुत किये, लेकिन खसरा संख्या 2917 की कृषि भूमि में से खरीदशुदा हिस्से की खातेदारी अपीलार्थीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में अंकित नही की, इसी बीच सोनीदेवी पत्नि जैसारामजी मेघवाल का दिनांक 27.11.2021 को दोहान्त हो जाने से खसरा संख्या 2917 में सोनीदेवी के हिस्से की कृषि भूमि के संबंध में नामान्तरकरण संख्या 1204 दिनांक 30.12.2021 के द्वारा मृतक सोनीदेवी के वासिान का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया, जबकि अधीनस्थ राजस्व अधिकारी व कर्मचारियों को पंजीकृत विक्रय के अनुसार अपीलार्थीगण के पक्ष में नामान्तरकरण दायर करना चाहिये था। अतः अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम मेरमाण्डवाडा, पटवार हल्का मेरमाण्डवाडा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1204 दिनांक 30.12.2021 को निरस्त कर अपीलार्थीगण द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 09.11.2021 से खरीदशुदा भूमि का अपीलार्थीगण के पक्ष में नामान्तरकरण दायर कर स्वीकृत करने के निर्देश जारी किये जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान व्यक्त किया किया उक्त कृषि भूमि के संयुक्त खातेदार सोनीदेवी पत्नी जैसाराम मेघवाल की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 1204 हल्का पटवारी, मेरमाण्डवाडा द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में दायर किया गया है, जिसे तहसीलदार, सिरोही द्वारा दिनांक 30.12.2021 को स्वीकृत किया गया है।

(4) हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली व अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि ग्राम मेरमाण्डवाडा, पटवार हल्का मेरमाण्डवाडा के खसरा संख्या 2917 रकबा 2.7200 हेक्टेयर कृषि भूमि के संयुक्त खातेदार सोनीदेवी पत्नी जैसाराम जी मेघवाल, निवासी— मेरमाण्डवाडा की दिनांक 27.11.2021 को मृत्यु हो जाने से मृतक खातेदार सोनीदेवी पत्नी जैसाराम जी मेघवाल के हक हिस्से की कृषि भूमि के संबंध में पटवारी हल्का, मेरमाण्डवाडा द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 1204 दायर किया गया, जिसे तहसीलदार, सिरोही द्वारा दिनांक 30.12.2021 को स्वीकृत किया गया है। तहसीलदार, सिरोही द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण संख्या 1204 दिनांक 30.11.2021 के विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 01.2.2023 को प्रस्तुत की गई है, जो विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 1204 दिनांक 30.11.2021 को निरस्त कराने हेतु यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अलग से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपीलार्थीगण ने तहसीलदार, सिरोही द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1204 दिनांक 30.11.2021 के संबंध में सर्वप्रथम दिनांक 23.01.2023 को जमाबन्दी की नकल हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर जानकारी होना बताते हुए जानकारी तिथि से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत करना अंकित किया है। अपीलार्थीगण ने धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में स्वयं के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये है। अपीलार्थीगण द्वारा धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भावना पूर्ण प्रतीत होने से अपील[illegible] का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम को स्वीकार किया [illegible] अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाकर अपील प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है।

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 17:12:18 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की माता सोनीदेवी पत्नी जैसारामजी, जाति— मेघवाल, निवासी— मेरमाण्डवाडा एवं कपूराराम पुत्र जैसारामजी, जाति—मेघवाल, श्री जयन्तिलाल पुत्र भोमारामजी जरिये सरंक्षक माता सुकी पत्नी भोमाराम जी मेघवाल, त्रिजादेवी पुत्री जैसारामजी मेघवाल, निरमा पुत्री भोमाराजी जरिये सरंक्षक माता सुकी पत्नी भोमारामजी मेघवाल, प्रभादेवी पुत्री जैसाराम जी मेघवाल, बागाराम पुत्र हंसारामजी मेघवाल, भानाराम पुत्र हंसाराम जी मेघवाल, मीरादेवी पत्नी हंसारामजी मेघवाल, रगाराम पुत्र भगारामजी मेघवाल व सुकी पत्नी भोमारामजी मेघवाल, निवासी— मेरमाण्डवाडा द्वारा ग्राम मेरमाण्डवाडा, पटवार हल्का मेरमाण्डवाडा के खसरा संख्या 2917 रकबा 2.7200 हेक्टेयर में दर्ज अपने अपने हक हिस्से की कृषि भूमि का पंजीकृत विक्रय विक्रय दिनांक 09.11.2021 के द्वारा अपीलार्थीगण को कीमतन विक्रय किया गया है, जो उप पंजीयक कार्यालय, कालन्द्री में क्रम संख्या 202103328101285 पर पंजीकृत है। इस प्रकार, पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की माता श्रीमती सोनीदेवी पत्नी जैसाराम जी मेघवाल, निवासी— मेरमाण्डवाडा व उक्त 10 खातेदारों (जिनका नाम पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 09.11.2021 में अंकित हैं) के द्वारा ग्राम मेरमाण्डवाडा, पटवार हल्का मेरमाण्डवाडा के खसरा संख्या 2917 रकबा 2.7200 हेक्टेयर कृषि भूमि में दर्ज अपने अपने हक हिस्से की कृषि भूमि का उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 09.11.2021 के द्वारा अपीलार्थीगण को कीमतन विक्रय कर दिया जाने से उक्त पंजीकृत विक्रय दिनांक 09.11.2021 के अनुसार अपीलार्थीगण के पक्ष में नामान्तरकरण दायर किया जाना चाहिये था, लेकिन पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 09.11.2021 के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में नामान्तरकरण नही किया जाकर उक्त कृषि भूमि के संयुक्त खातेदार सोनीदेवी पत्नी जैसाराम जी मेघवाल, निवासी— मेरमाण्डवाडा की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण संख्या 1204 दिनांक 30.12.2021 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 का नाम दर्ज किया गया है, जो विधि सम्मत नही है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थीगण की अपील सारवान होने एवं साबित होने से स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 1204 दिनांक 30.12.2021 को निरस्त करते हुए उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 09.11.2021 के अनुसार अपीलार्थीगण के पक्ष में नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करने हेतु तहसीलदार, सिरोही को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थीगण अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण सारवान होने व साबित होने से स्वीकार की जाकर तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम मेरमाण्डवाडा, पटवार हल्का मेरमाण्डवाडा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1204 दिनांक 30.11.2021 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार, सिरोही को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 09.11.2021 के अनुसार अपीलार्थीगण के पक्ष में नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करने की कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 02 फरवरी, 2024 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 17:12:18 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही